प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, **बिलासपुर**

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 1174/2007

हीरालाल गिरी

विरुद्ध

रामरतन एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय की उद्घोषणा हेतु — 23.07.2010 को सूचीबद्ध करें I

सही/-

श्री एन. के. अग्रवाल

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, **बिलासपुर**

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 1174 / 2007

अपीलार्थी: **हीरालाल गिरी**

बनाम

प्रत्यर्थीगण: **रामरतन एवं अन्य**

(मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत अपील)

एकलपीठ : माननीय श्री एन. के. अग्रवाल, न्यायाधीश

उपस्थिति : श्री प्रकाश तिवारी विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।

श्री वसीम मिया विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 2 की ओर से।

श्री सुधीर अग्रवाल विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 23 जुलाई, 2010 को पारित)

1. दिनांक 08.08.2007 को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कोरिया (बैकुण्ठपुर) (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 81/2006 में पारित प्रतिकर आदेश से आहत होकर, अपीलकर्ता द्वारा मृतिका श्रीमती सीमा बाई की मृत्यु के लिए प्रतिकर की मांग करते हुए यह अपील दायर की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 16.12.2004 को सीमा बाई (स्वर्गवासी) को मार्शल जीप क्रमांक CG-16-3295 के चालक द्वारा वाहन को उतावलेपन एवं

उपेक्षापूर्ण रूप से चलाने के कारण टक्कर मार दी गई, जिससे उक्त दुर्घटना में प्राप्त चोटों के परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।

3. अपीलकर्ता/दावाकर्ता ने मोटरयान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 166 के अंतर्गत एक दावा याचिका प्रस्तुत की तथा दुर्घटना में मृतिका की मृत्यु के लिए दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक/स्वामी एवं बीमाकर्ता के विरुद्ध मुआवजे के रूप में ₹12,10,000/- की राशि प्रदान किए जाने का दावा किया।

4. न्यायाधिकरण ने प्रस्तुत साक्ष्यों, अभिलेखों तथा पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का सूक्ष्म परीक्षण करने के उपरान्त यह माना कि मृतिका सीमा बाई अपीलकर्ता की विधिवत विवाहित पत्नी नहीं थी; अपीलकर्ता मृतिका का विधिक प्रतिनिधि नहीं है और न ही वह उस पर आश्रित था, अतः अपीलकर्ता को मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। फलस्वरूप, दावा याचिका ख़ारिज कर दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. यह तथ्य विवादित नहीं है कि मृतिका सीमा बाई अपीलकर्ता की विधिवत विवाहित पत्नी नहीं थी। निर्विवाद रूप से कौशल्या बाई अपीलकर्ता की विधिवत विवाहित पत्नी है, जो अपीलकर्ता के साथ निवास करती है। यह भी विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता मृतिका पर आश्रित नहीं था।

6. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (i) के अनुसार, किसी भी दो हिन्दुओं के मध्य विवाह तभी सम्पन्न किया जा सकता है जब विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवनसाथी जीवित न हो। धारा 11 के अनुसार, इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात यदि कोई विवाह धारा 5 की उपधारा (i) में निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन करते हुए सम्पन्न होता है तो वह विवाह अकृत व शून्य (null & void) होगा। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, मृतिका को अपीलकर्ता की पत्नी नहीं कहा जा सकता तथा अपीलकर्ता ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विधि के अनुसार मृतिका का उत्तराधिकारी (successor in interest) हो।

7. श्री प्रकाश तिवारी, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता का दूसरा विवाह मृतिका सीता बाई के साथ उसकी पहली पत्नी श्रीमती कौशल्या बाई की सहमति से सम्पन्न हुआ था, अतः अपीलकर्ता, मृतिका का विधिक प्रतिनिधि (legal representative) होने के नाते, जैसा कि दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(11) में परिभाषित है, मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत प्रतिकार हेतु आवेदन करने का अधिकार रखता है। यद्यपि अपीलकर्ता मृतिका पर आश्रित नहीं था, तथापि वह मोटरयान अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत वैधानिक क्षतिपूर्ति (statutory compensation) ₹50,000/- प्राप्त करने का हकदार है। इस प्रकार, अधिकरण द्वारा दावे की याचिका को प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किया जाना गंभीर अनियमितता है। अपने इस तर्क के समर्थन में, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों— **गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन,अहमदाबाद विरुद्ध रमनभाई प्रभातभाई एवं अन्य**[1] **तथा श्रीमती मंजुरी बेरा विरुद्ध ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य**[2] पर अवलंब लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया और यह प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता मृतिका का विधिक प्रतिनिधि नहीं है, वह उस पर आश्रित भी नहीं था तथा उसे प्रतिकार के लिए आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रकरण विधि पर विचार करने के बाद न्यायाधिकरण ने विधिपूर्वक यह माना है कि प्रतिकार का आवेदन ग्राह्य नहीं है, और न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय पुष्ट किए जाने योग्य है।

9. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, विवादित आदेश तथा न्यायाधिकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया।

10. इस प्रकरण में विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या वह व्यक्ति, जिसकी दूसरी पत्नी मोटर दुर्घटना में मृत्यु का शिकार हो गई हो, मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित दावा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रारंभ की गई कार्यवाही में प्रतिकार का दावा कर सकता है?

11. मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत, धारा 165 की उपधारा (i) में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से उत्पन्न प्रतिकार हेतु आवेदन उस स्थिति में किया जा सकता है जब दुर्घटना से मृत्यु हुई हो, और ऐसा आवेदन मृतिका के सभी या किसी भी विधिक प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है। धारा 166 की उपधारा (i) के प्रावधान (proviso) के अनुसार, जहाँ मृतिका के सभी विधिक प्रतिनिधि ऐसे किसी प्रतिकार के आवेदन में सम्मिलित नहीं हुए हैं, वहाँ आवेदन मृतिका के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से अथवा उनके लाभ हेतु किया जाएगा और जो विधिक प्रतिनिधि ऐसे आवेदन में सम्मिलित नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिवादी के रूप में उस आवेदन में पक्षकार बनाया जाएगा।

1. AIR 1987 SC1690

2. 2007 (10) SCC 643

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मोटरयान अधिनियम की धारा 168 इस प्रकार है:

"168. दावा न्यायाधिकरण का निर्णय—

(1) धारा 166 के अंतर्गत किया गया प्रतिकार का आवेदन प्राप्त होने पर, दावा न्यायाधिकरण बीमाकर्ता को आवेदन की सूचना देने तथा पक्षकारों (बीमाकर्ता सहित) को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस दावा अथवा, जैसा कि मामला हो, प्रत्येक दावे की जांच करेगा और धारा 162 के प्रावधानों के अधीन, ऐसा निर्णय देगा जिसमें प्रतिकार की वह राशि निर्धारित की जाएगी जो उसके विचार में न्यायोचित प्रतीत होती है तथा यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि मुआवज़ा किस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दिया जाएगा। निर्णय देते समय दावा न्यायाधिकरण यह भी निर्दिष्ट करेगा कि प्रतिकार की राशि बीमाकर्ता अथवा वाहन के स्वामी अथवा चालक द्वारा, या सभी अथवा उनमें से किसी एक द्वारा, जैसा कि मामला हो, अदा की जाएगी:

परन्तु यह कि जहाँ ऐसा आवेदन धारा 140 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के संबंध में प्रतिकार का दावा करता है, वहाँ उस

मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के संबंध में किया गया वह दावा तथा कोई अन्य दावा (चाहे वह ऐसे आवेदन में किया गया हो या अन्यथा) अध्याय X के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।

(2) दावा न्यायाधिकरण यह व्यवस्था करेगा कि अधिनिर्णय की प्रतियां संबंधित पक्षकारों को शीघ्र उपलब्ध कराई जाएँ और किसी भी दशा में अधिनिर्णय की तिथि से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर प्रदान की जाएँ।

(3) जब इस धारा के अंतर्गत निर्णय दिया जाता है, तो वह व्यक्ति जिसे उक्त निर्णय के अनुसार कोई राशि अदा करनी है, उसे दावा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय घोषित किए जाने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर संपूर्ण निर्णयित राशि उस प्रकार जमा करनी होगी जैसा दावा न्यायाधिकरण निर्देशित करेगा।"

13. सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 2(11) के अनुसार, "विधिक प्रतिनिधि" (legal representative) का अर्थ है—वह व्यक्ति जो विधि में मृतिका व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें वह प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है जो मृतिका की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है तथा जहाँ कोई पक्षकार प्रतिनिधि स्वरूप में वाद करता है या उस पर वाद किया जाता है, वहाँ मृतिका पक्षकार की मृत्यु पर जिसकी ओर संपत्ति का उत्तराधिकार होता है, वह व्यक्ति भी विधिक प्रतिनिधि होगा। लगभग समान शब्दों में विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 में धारा 2(1)(ग) के अंतर्गत दी गई है। मोटरयान अधिनियम में विधिक प्रतिनिधि शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम, अहमदाबाद (पूर्वोक्त) के मामले में, मोटरयान अधिनियम, 1939 की धाराएँ 110-ए से 110-एफ पर विचार करते हुए, अपने निर्णय के पैरा 11 में इस प्रकार अभीनिर्धारित किय है:

"11. हमें लगता है कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भारतीय समाज की परिस्थितियों को देखते हुए न्याय, समानता और सदाचार के सिद्धांतों के अनुरूप है। प्रत्येक विधिक प्रतिनिधि, जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु से पीड़ित होता है, को प्रतिकार प्राप्त करने का उपाय उपलब्ध होना

चाहिए और यह अधिनियम की धाराओं 110-ए से 110-एफ द्वारा प्रदान किया गया है। ये प्रावधान अपकृत्य विधि (law of torts) के उस सिद्धांत के अनुरूप हैं कि प्रत्येक चोट का उपचार होना चाहिए। यह मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण का कार्य है कि वह अधिनियम की धारा 110-बी के अनुसार ऐसा प्रतिकार निर्धारित करे जो उसके विचार में न्यायोचित प्रतीत होता हो तथा यह निर्दिष्ट करे कि प्रतिकार किस व्यक्ति अथवा किन व्यक्तियों को दिया जाएगा। धारा 110-बी के अनुसार प्रतिकार की निर्धारणीय राशि तथा उसका विभाजन, जिन विधिक प्रतिनिधियों के लाभार्थ धारा 110-ए के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है, उनके बीच, विधि के सुविख्यात सिद्धांतों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय परिवार में भाई-बहन, भाई के बच्चे तथा कभी-कभी पाल्य बच्चे भी साथ रहते हैं और वे परिवार के मुख्य कमाने वाले पर आश्रित होते हैं और यदि मुख्य कमाने वाले की मृत्यु मोटर वाहन दुर्घटना के कारण हो जाती है, तो उन्हें प्रतिकार देने से इंकार करने का कोई औचित्य नहीं है, यह कहते हुए कि घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के प्रावधान लागू होते हैं; क्योंकि, जैसा कि हमने पहले ही माना है, उक्त अधिनियम के प्रावधानों को मोटर वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न मामलों के संदर्भ में वर्तमान अधिनियम द्वारा मूलतः संशोधित कर दिया गया है। हम मेगजीभाई खीमजी वीरा बनाम चतुरभाई तालजाभाई (AIR 1977 गुजरात 195) (पूर्वोक्त) के निर्णय को अनुमोदित करते हैं और यह मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, जिसकी मृत्यु मोटर वाहन दुर्घटना में होती है, का भाई उसका विधिक प्रतिनिधि है, तो उसे अधिनियम की धारा 110-ए के अंतर्गत याचिका बनाए रखने का अधिकार है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती मंजीरी बेरा (पूर्वोक्त) के मामले में अपने निर्णय के कंडिका 12, 15 एवं 19 में इस प्रकार कहा है:

"12. जैसा कि इस न्यायालय ने कस्टोडियन ऑफ ब्रांचेज़ ऑफ बैंको नेशनल अल्ट्रामारिनो बनाम नलिनी बाई नाइक में अवलोकन किया, धारा 2(11) सी.पी.सी. में दी गई परिभाषा समावेशी (inclusive) प्रकृति की है और इसका क्षेत्र व्यापक है,

यह केवल वैधानिक उत्तराधिकारियों (legal heirs) तक सीमित नहीं है। इसके विपरीत यह प्रावधान करता है कि ऐसा व्यक्ति, जो मृतिका की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए विधिक उत्तराधिकारी हो भी सकता है और नहीं भी, मृतिका की संपत्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसमें उत्तराधिकारी के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जो मृतिका की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, भले ही उनके पास कोई विधिक अधिकार न हो, जैसे निष्पादक (executor) अथवा प्रशासक (administrator) जो मृतिका की संपत्ति के कब्जे में हों। ऐसे सभी व्यक्ति 'विधिक प्रतिनिधि' (legal representative) की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। जैसा कि गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम रमनभाई प्रभातभाई में कहा गया है, विधिक प्रतिनिधि वह है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु से, जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण हुई हो, पीड़ित होता है और यह आवश्यक नहीं है कि वह पत्नी, पति, माता-पिता या संतान ही हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"15. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में यदि कोई विधिक प्रतिनिधि, जो आश्रित नहीं है, प्रतिकार के लिए आवेदन करता है, तो प्रतिकार की राशि अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत देय दायित्व से कम नहीं हो सकती। अतः, भले ही आश्रियता की हानि (loss of dependency) न हो, यदि दावा करने वाला विधिक प्रतिनिधि है, तो वह प्रतिकार का हकदार होगा, जिसकी राशि अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत प्रवाहित दायित्व से कम नहीं होगी। अपील उपर्युक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है। व्ययों के संबंध में कोई आदेश नहीं।"

"19. विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय ने 'प्रतिकार के लिए आवेदन करने के अधिकार' और 'प्रतिकार का हकदार होने' के बीच सही अंतर स्थापित किया है। उच्च न्यायालय ने सही रूप से माना कि विवाहित पुत्री भी विधिक प्रतिनिधि है और वह निश्चित रूप से प्रतिकार दावा करने की हकदार है। तथापि, वर्तमान मामले के तथ्यों पर यह माना गया कि विवाहित पुत्री अपने पिता पर आश्रित नहीं थी। वह अपने पति के साथ अपने पति के घर में रह रही थी। इसलिए वह प्रतिकार दावा करने की हकदार नहीं थी। उच्च न्यायालय के अनुसार, दावा करने वाली अपने पिता

की आय पर आश्रित नहीं थी। अतः, वह 'दोषरहित दायित्व' (no-fault liability) के आधार पर प्रतिकार प्राप्त करने की हकदार नहीं थी।"

16. उपर्युक्त प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के परिप्रेक्ष्य में अब यह सुस्थापित विधि है कि मोटरयान अधिनियम की धारा 166 में प्रयुक्त "विधिक प्रतिनिधि" (legal representative) शब्द का वही अर्थ है जो दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(11) में परिभाषित किया गया है। अब यदि हम उक्त परिभाषा को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में लागू करें, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलकर्ता, जो निर्विवाद रूप से मृतिका पर आश्रित नहीं था, न तो ऐसा व्यक्ति है जो विधि में मृतिका सीमा बाई की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और न ही मृतिका का उतराधिकारी (successor in interest) है। अतः यदि धारा 2(11) सी.पी.सी. में प्रदत्त विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा को उसके व्यापकतम परिमाण में भी लिया जाए, तब भी अपीलकर्ता को मृतिका का ऐसा विधिक प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता है जो मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर करने का अधिकारी हो, और इस प्रकार न्यायाधिकरण ने दावा याचिका खारिज करने में कोई अवैधानिकता नहीं की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपर्युक्त के आलोक में, मुझे अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता। अपील निराधार होने के कारण अस्वीकार किए जाने योग्य है तथा एतद्द्वारा ख़ारिज की जाती है।

18. वाद व्ययों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

एन .के. अग्रवाल

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुप्रकरण पक्षकारकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Abhishek Banjare, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur